

18.00 HOURS

The hon. Member asked how U. P. would fare with this criterion. U. P. would fare far better because firstly U. P. and Bihar are large States from the point of view of population. Secondly both are below the national average. Ten per cent of the total Central resources will be distributed only in six States. So that takes care of the States which have lagged behind and to the extent Central assistance can play a role in picking up the States, it has been done.

Central assistance is one of the instruments for stimulating growth in a particular State, but the real effort has to come from the State itself. If the experience of Maharashtra or Punjab or Tamil Nadu or any other State is any guide, it is that the States which have done well are those which are administered well which have political stability. The administration is good and they are able to raise resources and step up the growth. Unless we do that, the problem of regional imbalances will remain. The problem of the backward areas has to be looked at from that perspective, but I can assure the House that the new arrangement of distribution is the best so far evolved. If there is a better formula, certainly it will commend itself to Government and Parliament. I know that any answer will not satisfy anybody because the problem is such. All States want more, the Central kitty is small, and therefore the distribution cannot be such as to satisfy all the States.

18.03 HOURS

#### DISCUSSION RE-SUGAR POLICY

MR. SPEAKER : We will take up this sugar discussion now. We have already taken one day. A number of members have yet to speak. I think they must be careful about the time.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि बजाय इसके कि आप इस विषय पर लंबे लंबे भाषणों की अनुमति दें, आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछने की अनुमति दे दीजिए, ताकि मंत्री महोदय उनका उत्तर दे दें ।

MR. SPEAKER : That is why I am saying that in another half an hour or 45 minutes we will have to finish. Otherwise we will have to hear only our own speeches. We should be careful. Not more than 5 minutes for each member. There are two or three Opposition parties which want to participate.

श्री डा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो बहस समाप्त हुई है, उसके बाद इस बहस का खास महत्व है। अभी आपने सुना कि बिहार में रिजनल इम्बेलेन्स ज्यादा है वहाँ पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर और पर-केपिटा सेन्ट्रल एसिस्टेंस सब से लोएस्ट है।

108 सेन्ट्रल एसिस्टेंस है और 175 या 180 पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर है—इस स्थिति में बिहार और यू. पी. के लिए—और खासकर नार्थ बिहार के लिए चीनी उद्योग और गन्ने के मूल्य का निर्धारण बहुत महत्व रखता है।

कुछ दोस्तों ने कहा है कि शूगर को डीकंट्रोल कर दिया जाये। शायद उनको मालूम नहीं है कि एक जमाने में शूगर डीकंट्रोल था और उसकी वजह से किसानों को अपने खेतों में गन्ने को भाग लगा कर जला देना पड़ा, क्योंकि गन्ना इतना हो गया था कि मिलें उसे पेर नहीं सकीं और किसान का सब खर्चा और मेहनत बर्बाद हो गया। इस लिए 1937 में बिहार और यू. पी. में शूगर कंट्रोल एक्ट बना, जिससे गन्ना बोनो वालों को राहत मिली। आज यह सुझाव देना कि शूगर को डीकंट्रोल कर दिया जाए, किसान को चाहे जितना शूगरकेन बोनो दिया जाए और चाहे जितनी प्राइस लेने दी जाए इस इन्डस्ट्री के सम्बन्ध में अज्ञानता का सूचक है।

शूगर से सम्बन्धित चार महत्वपूर्ण बग हैं। एक तो किसान है, जो शूगरकेन पैदा

करते हैं। दूसरे, मिल वाले हैं, जो शूगरकेन को पेरते हैं। तिसरे और चौथे दो तरह के कनज्यूमर हैं : साधारण कनज्यूमर, जिन के लिए कोई मूल्य निर्धारित नहीं है, जो चाहे जितनी चीनी मिल वालों से ले लें और चाहे जितनी बाजार से ले लें और बे लोग, जिन को लेवी की शूगर कार्ड या परमिट से मिलती है।

गन्ने और चीनी का दाम क्या होना चाहिए, यह एक बहुत सीधा सवाल है, यह कोई बहुत टेढ़ा सवाल नहीं है। किसान गन्ना उपजाने में जो खर्च करता है, उस लागत खर्च और कुछ नफे के आधार पर गन्ने का दाम निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार शूगर को पैदा करने में जो खर्च होता है, उस के साथ ज्यादा नहीं, कुछ आठ दस परसेन्ट मुनाफा जोड़ कर शूगर का दाम निश्चित किया जाना चाहिए।

पिछले साल और इस साल भी शूगर के दो तरह के दाम चल रहे हैं। एक तो लेवी शूगर है, जो 1.70, 1.72 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है और दूसरी शूगर वह है, जो साधारण लोगों को मिलती है। आज क्या होता है ? वोकल सेक्शन आफ पापुलेशन को सेटिसफाई करने के लिए सरकार घूस के रूप में उस को कास्ट आफ प्राइवकेशन से भी कम दाम पर शूगर देने की व्यवस्था करती है, ताकि वे लोण हल्ला न कर सकें। इसी को कहते हैं : राब पाल टु पे पीटर। जो लोग अधिक दाम देने की स्थिति में हैं, उन्हें कंट्रोल्ड रेट पर शूगर दी जाती है और देहात में रहने वाले गरीब लोगों को अधिक दाम पर मिलती है।

गवर्नमेंट जो लेवी लगाती है, उस से इतनी शूगर नहीं मिलती है कि हर एक आदमी के मिनिमम रेक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके; उससे सिर्फ कुछ लोगों को शूगर दी जा सकती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह अपनी मिलिटरी,

पुलिस और अपने नौकरों के लिए शूगर ले ले और बकिया को फ्री छोड़ दे। अगर वह अधिक लेना चाहती है, तो वह उन लोगों के लिए ले, जो अधिक पैसा नहीं दे सकते हैं। वह मेरे लिए और श्री बाजपेयी के लिए क्यों लेती है ? हम तो ज्यादा दाम दे सकते हैं। गरीब तो ज्यादा दाम नहीं दे सकते हैं। उन के लिए सरकार लेवी से शूगर ले ले और उन्हें कम दाम पर दे। अगर उन्हें कम दाम पर नहीं देना है, तो शूगर को प्राइवकेशन के कास्ट पर बेचा जाए।

अभी प्राइवकेशन का कास्ट जोड़ने पर मालूम हुआ कि 195 रुपये पर क्विन्टल आता है और उतने ही दाम पर बिकना चाहिए। लेकिन लेवी शूगर का दाम होता है 156 रुपये और जो 40 रुपये घाटा उस में होता है वह गरीबों को देना पड़ता है क्यों कि उनको तो कंट्रोल से या परमिट से चीनी नहीं मिलती। इसलिए मैं कहूंगा कि ईस का दाम कम से कम 4 रुपये मन या साढ़े दस रुपये क्विन्टल होना चाहिए और शूगर का दाम कंट्रोल मार्केट में या लेवी वाला जो शूगर है उस का दाम पीने दो रुपये होना चाहिए और बकिये का सवा दो रुपये होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करिएगा तो गरीबों को और अधिक दाम देना पड़ेगा। या यह कीजिए कि अपनी सर्विसेज के रिक्वायरमेंट के लिए लेवी लगा लीजिए बाकी छोड़ दीजिए तब उन लोगों को दो सवा दो रुपये में चीनी मिल जायगी। आज हम मानते हैं कि गन्ना ज्यादा है और इसलिए सब लोग कहते हैं कि शूगर को डी-कंट्रोल करो लेकिन जब केन प्रोडर को कम दाम मिलेगा तो अगले साल इतना कम गन्ना बोया जायगा कि आप शूगर मिलों को बला नहीं पाएंगे। नार्थ बिहार में शूगर के अलावा और कोई इन्डस्ट्री नहीं है न और कोई केश फाप होता है सिवाय गन्ने के। तो वहां के किसानों की क्या हाशत हो जायगी ? वहां तो किसान मर जायगा.....

MR SPEAKER : There are half a dozen Members in the Opposition and half a dozen on the Congress side yet to speak. When I ring the bell, it has absolutely no effect at all. If each Member takes 15 minutes, I am afraid we will have to sit till midnight. I will have to put some body else in the Chair, possibly, Shri D.N. Tiwari himself. There should be a limit, and repetition should not be there. At least the second bell must be respected if not the first one. Please conclude now.

एक ही बात और कह कर मैं समाप्त करता हूँ। आप जब शूगर एक्सपोर्ट करते हैं तो सम्बिन्धी देते हैं। करोड़ों का घाटा देते हैं। यदि बोकल सेक्शन को घूस देकर सेटिस्फाई करना है, उनको कम दाम पर देना है तो आप सम्बिन्धी दीजिये लेकिन गरीबों को अधिक दाम पर शूगर मत दीजिये और शूगर केन का दाम चार रुपये मन रखिये।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : अध्यक्ष महोदय, किसान के हितों की रक्षा के लिए गन्ने के दाम निर्धारित किये जाते हैं और किये जाने चाहिए। यू० पी० बिहार इत्यादि इलाकों में जो मिलें चलती हैं और जो किसान का कंश फ़ाप है उसको बचाने के लिए दाम निर्धारित करना जरूरी हो जाता है। मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मगर मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह दाम हमारे महाराष्ट्र में या आन्ध्र में निर्धारित करने की क्या जरूरत है ? इससे एक दिक्कत मेरे लिए ख़ास कर के पैदा हो गई है क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र में जब यह सीलिंग का कानून बना तो शूगर फ़ैक्ट्रीज की तरफ से जो जमीन करीब करीब 80 हजार एकड़ सरप्लस थी उसका एक स्टेट फार्मिंग कारपोरेशन बन गया है।

18.13 Hours

SHRI GADILINGAUA GOWD [in the Chair]

उसमें सौभाग्य से मैं भी एक डायरेक्टर हूँ मजदूरों के हित की रक्षा करने के लिये।

मजदूरों के हित की रक्षा करनी है। इसमें हमारे यहां एक बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि जो हमारा कानून बना है उसमें यह कहा है कि यह स्टेट फार्मिंग कारपोरेशन पर लाजिमी होगा कि हम फ़ैक्ट्री वालों को अपना गन्ना बेचें और वह फ़ेयर प्राइस पर बेचें। मगर हुकूमत ने उनके साथ जो समझौता किया है उसमें फ़ेयर प्राइस शब्द नहीं इस्तेमाल किया है। उसमें कहा है कि दि प्राइस विल बी गवर्नड बाइ दि प्राइस फिक्स्ड बाइ दि सेन्टर। जो दाम आज आप निर्धारित करते हैं उसी से गवर्न होगी। अब गवर्न शब्द को लेकर झगड़ा होता है। उनका कहना है कि यहाँ साढ़े सात रुपये कहा है तो साढ़े सात रुपये हमको देना है। उसका मतलब होता है कि बाजार में 150 रुपये तक कीमत जाती है तब हमको 80, 85, 90, या 100 तक लोगों को देनी पड़ती है। उस के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है और जो एक सार्वजनिक मामला है पब्लिक सेक्टर का उसको बदनाम किया जाता है। इससे हमारे लिए यह जो नॉशनल प्राइस है उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा मंत्री महोदय से कि यह यू० पी० और जो पिछड़े इलाके हैं उनमें जो किसान हैं उनकी रक्षा करने के लिए दाम निर्धारित करते हैं तो जरूर करें। लेकिन हमारे यहां शूगर को लेकर इसको निर्धारित करने की जरूरत नहीं ताकि उसका फायदा स्टेट फार्मिंग कारपोरेशन को मिल जायगा और फिर हम उनके साथ निगोशिएट कर सकेंगे कि तुमको कितना दाम देना चाहिए और फ़ेयर प्राइस क्या होना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ, बाजपेयी जी का भाषण मैं बड़े गौर से सुन रहा था। बाजपेयी जी ने यह कहा कि जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ की फ़ैक्ट्रीज अगर खरम हो जाएंगी तो जो मजदूर हैं वह कहाँ जाएंगे ? मैं उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ। मगर उन्होंने जो दूसरा सुझाव रखा है कि जो फ़ैक्ट्रीयाँ आउट-

मोडेड मशीनरी वाली हैं, एफिश्येंट नहीं है उनकी एफिश्येंसी को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि किसानों को जो उनको मांग है वह दाम दिए जाएं। चार रुपये नहीं देते हैं तो साढ़े तीन जो भी देते हैं दीजिए लेकिन आज जो कीमत गन्ने की है यह हमको कुछ उचित नहीं लगती है क्योंकि उसमें किसान को कुछ नहीं मिलता है। बात तो यह है कि किसान को कम दिया जाता है और जो मालिक है उसको ज्यादा मुनाफा दिया जाता है। यह क्यों दिया जाता है उनके साथ में यह क्यों नहीं फिक्स किया जाता जो 12 परसेन्ट या 10 परसेन्ट की बात आपने बताया कि उससे ज्यादा मुनाफा उनको नहीं दिया जाना चाहिए। मगर वह तो सब मुनाफा ले जाते हैं और किसान को कुछ मिलता नहीं। यहां इंटेरेस्ट एक तो मालिक का है, एक किसान का है और एक कन्ज्यूमर का है। तो ऐसी हालत में यह भी देखना चाहिए कि शूगर जब हम खरीदते हैं तो उनको कितना दाम देना चाहिए? यह भी एक समस्या इस देश में है। जैसे एक जोन न होने के कारण पंजाब में जब 50 रुपये में गेहूं बिकता है तो बम्बई में वह 90 रुपये पड़ता है और यह जो आपकी पालिसी चल रही है उससे यह होता है कि यू० पी० में 150 रुपये दे देंगे शक्कर के लिए तो महाराष्ट्र में 100 देते हैं। तो यह कहां की यूनिफार्मिटी है? मैं जानता हूँ कि एक साथ हम कर नहीं सकेंगे क्योंकि यहां की समस्याएं अलग-अलग हैं और जो विकास हुआ है वह विषम विकास हुआ है मगर यह भी तो सोचना चाहिए कि जो कैपिटलिस्ट हैं उनको कितना मुनाफा देना चाहिए। आप किसान की रक्षा के लिए दाम निर्धारित करते हैं या कैपिटलिस्ट लोगों की रक्षा के लिए? यह तो कैपिटलिस्ट लोगों की रक्षा हो रही है। किसानों की रक्षा नहीं हो रही है। इसलिए मैं तो यह चाहूंगा कि जैसा कि मैंने कहा यह आप करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी अगर आप इस तरह से हम लोगों को छोड़ दें। यह जो नोशनल प्राइस है

आखिर यह नोशनल प्राइस ही है, हमारे यहां उसका कोई अर्थ ही नहीं लगता है। सिर्फ हमारे लिए जो स्टेट फार्मिंग कारपोरेशन है उसके लिये यह लागू होता है और जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वह रोजाना गाली देते हैं कि हमारा कोई मुनाफे पर नहीं चलता। हमको जब मुनाफा होने वाला था, गत वर्ष 6 करोड़ रुपये का फायदा मिलने वाला था तो वह हाईकोर्ट में चले गये। हमें फायदा नहीं मिल सका। जब घाटा था घाटे में रहे। जब मुनाफे का समय आया है तो यह जो गर्बनिंग वाली बात है, सेक्टर की तरफ से जो प्राइस तय होती है उससे हम गर्बन होते हैं और उसका नतीजा यह होगा कि फिर हम घाटे में रहेंगे। तो यह आपके सोचने की बात है। मैं समझता हूँ कि यह मुश्किल काम तो है क्यों कि तीनों के हित की रक्षा करनी है। कन्ज्यूमर के हित की रक्षा करनी है और कन्ज्यूमर सिर्फ शहरी लोग ही नहीं हैं। शहरी लोगों को लेवी शुगर मिलती है लेकिन किसानों को कहां मिलती है? उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कई लोगों ने कहा कि जो बता सकते हैं उनको दे दो। तो यह तो पूरा लेसी फेयर हम कर नहीं सकते हैं, इस चीज को मैं मानता हूँ। हमारे देश में उसके लिये प्लानिंग की आवश्यकता होगी। मगर साथ में बैठकर कोई बेलेंस, कोई संतुलन तो निकालना ही पड़ेगा जिससे कि तीनों के हितों की रक्षा हो। इस दृष्टि से आप सोचेंगे तो तीनों के हितों की रक्षा होगी।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : सभापति महोदय, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसके लिए समय तो बहुत कम मिला है और देखने में बात मामूली सी जान पड़ती है। लेकिन वह एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग दो करोड़ किसानों और दो लाख भजदूरों का सम्बन्ध है। यहाँ खवाल यह है कि उन दो करोड़ किसानों के और उससे भी बढ़ कर जो उपभोक्ता के नाम पर महंगी चीनी की बात कही

[ श्री विश्वनाथ राय ]

जाती है उस सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति सफल रही है या असफल रही है। मुख्य प्रश्न इस समय यही है। जहाँ तक कि प्रस्तावकर्ता की बात है, उनके भाषण से तो ऐसा जान पड़ा कि वर्तमान नीति असफल रही है या गलत—सी है। मैं जोरदार शब्दों में कहता हूँ कि यह पहली बार है—35 वर्षों के अन्दर जबकि किसान के हितों का पूरा ध्यान सरकार ने दिया है अर्थात् चीनी सम्बन्धी नीति इस तरह की निर्धारित की है जिससे मिल-मालिकों को खुशी से या विवश होकर किसानों को ज्यादा पैसा देना पड़ा है। एक वह समय था जब विदेशी चीनी के कारण हमारे जो ग्रामीण चीनी उद्योग थे, वे विफल हुए थे और उस समय चीनी उद्योग को विदेशी सरकार ने संरक्षण दिया था। 1933-34 से लेकर अब तक लगातार चीनी उद्योग को बराबर संरक्षण मिला और इसका नतीजा यह हुआ कि जिसकी एक चीनी मिल थी 10-12 वर्षों में उसकी दो तीन मिलें हो गईं। यह मैं देवरिया जिले की बात कहता हूँ जहाँ इस समय 14 मिलें हैं और सारे उत्तर प्रदेश में 71 मिलें हैं।

तिवारी जी ने चर्चा करते हुए कहा कि अगर इस तरफ नियन्त्रण नहीं होता है हमको गन्ने को खपाने में दिक्कत होगी बल्कि उसको जलाना पड़ सकता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि एक वक्त था जब 1937 में कांग्रेस सरकार नहीं आई थी और उस समय इस पर कन्ट्रोल नहीं था, दो आना मन गन्ना त्रिका था, गन्ने को खेतों में जलाना पड़ा था। लेकिन उस समय जब पहली बार कांग्रेस गवर्नमेंट आई तब उसने उस समय ऐसी नीति का श्रीगणेश किया जिसमें किसानों के हितों का ध्यान दिया गया और चीनी मिल-मालिकों को इस बात के लिए मजबूर किया कि सरकार द्वारा जो उचित

दाम निश्चित हों, वह किसानों को बे साथ ही साथ जो गन्ना हो उसको पेरे। उस समय इण्डस्ट्री को जो संरक्षण मिला उससे इतना लाभ हुआ कि शायद ही किसी मिल को अपनी दुर्ब्यवस्था या मशीन की खराबी के कारण नुकसान हुआ हो अन्यथा कोई मिल ऐसी नहीं थी जिसको नुकसान हुआ हो। यदि इन मिलों की बेलेंस शीट को देखा जाय तो आपको विदित होगा कि ये मिलें करोड़ों रुपयों का लाभ उठा चुकी हैं। लेकिन इनके मुकाबले में गन्ना उत्पादकों को उतना लाभ नहीं हुआ। खासकर ऐसे समय में जबकि धन्न के भाव ऊँचे गए हैं, खाद्यान्न के भाव बढ़े हैं, गन्ने का भाव बहुत कम रहा है। यही सोचकर मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ और विशेषकर हमारे वर्तमान खाद्य मन्त्री को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उस नीति में थोड़ा सा परिवर्तन किया और वह परिवर्तन यह किया कि जिस चीनी उद्योग को 35 वर्षों से संरक्षण मिला है, जिसने उस संरक्षण का लाभ उठा कर इतना पैसा कमाया है, वह भी थोड़ा सा अन्न-उत्पादकों के मुकाबले में आवे और किसान को थोड़ा ठीक भाव मिले। इस नीति से यह सफलता मिली कि जहाँ दो आना या एक आना भी भाव नहीं बढ़ता था, वहाँ उत्तर प्रदेश में 12 रु० से 17 रु० विन्टल तक का भाव गन्ना उत्पादकों को मिला। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी गन्ने का भाव अच्छा रहा है। महाराष्ट्र के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ भाव कम दिया गया। वहाँ 10 रु० का ही भाव मिला, लेकिन वहाँ पर परिस्थिति बूसरी थी। यहाँ के किसान को आपरेटिव शूगर फैक्टरियाँ चलाते हैं। उन्होंने उन फैक्टरियों के मुनाफे का लाभ उठाया।

अब जहाँ तक कन्ज्यूमर की बात की जाती है, मैं खाद्य मन्त्री जी से यह अनुरोध

करूंगा कि वे उन उपभोक्ताओं की लिस्ट तैयार करवायें, जिन्हें कन्ट्रोल रेट पर चीनी मिलती है और यह भी देखें कि कितना गुड़ खाने वाले और रस पीने वाले लोग हैं। आप देखेंगे कि गुड़ खाने वालों की सख्या देश में कहीं ज्यादा है। ऐसी स्थिति में इन थोड़े से लोगों के नाम पर गन्ने के भाव कम करने की बात करना उचित नहीं है। करोड़ों लोगों के मुकाबले इन थोड़े से लोगों के लिए जो भाई यह कहते हैं कि 10 रु० क्विंटल गन्ने का भाव कर दिया जाय और भाव के बारे में चीनी उत्पादन 40 प्रतिशत के लिए छूट दे दी जाय। यह वही बात है जो हिन्दुस्तान के मिल मालिक चाहते हैं। उन्होंने इसी बात को अपने मैगज़ीन "इन्डियन शुगर" के अक्टूबर अंक में सजेस्ट किया है।

"In these circumstances the Indian Sugar Mills' Association have suggested the adoption of the following steps:—

- (1) Raising of the statutory minimum cane price to Rs. 10 per quintal linked to the base recovery of 9.4 per cent.
- (2) Fixation of free sale quota at 40 per cent of their total production at this stage."

इसका मतलब स्पष्ट है। जो लोग चाहे स्वतंत्र दल के रंगा साहब हों या इस साइड के लोग हों—यह चाहते हैं कि गन्ने का भाव 10 रु. क्विंटल हो और चीनी उत्पादन के 40 परसेंट की छूट हो वे वही बात कहते हैं जो बड़े बड़े मिल मालिक भी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि या तो पूरा नियन्त्रण हो या विनियन्त्रण हो। उनकी पालिसी ऐसी है कि दोनों को मिलाकर उनका लाभ सुरक्षित रहे और विछले 35 वर्षों में जो लाभ उन्होंने उठाया है, उसमें कमी न हो या पूर्ण विनियन्त्रण हो जिससे दो आना मन गन्ना बिकने की जो परिस्थिति सन 1937 के पहले हो गई थी, वैसी ही परिस्थिति पैदा हो जाय। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि सरकार की जो नीति है वह किसानों के दृष्टिकोण

से उत्पादकों के दृष्टिकोण से सफल रही है। जहाँ यह डर था कि 16 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा, वहाँ इस नीति के कारण 22.5 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। चाहे चीनी के उत्पादन की बात हो, या गन्ने के उत्पादन की बात हो यह नीति हर तरह से सफल रही है। आज हर प्रकार की सुविधायें यह सरकार उत्पादकों को दे रही है। गल्ले के भाव को देखते हुये किसान देख रहा है कि हम को गन्ने की खेती से कितना लाभ होगा और अन्न के उत्पादन से कितना लाभ होगा। इन दोनों की तुलना को दृष्टि में रखते हुये गन्ने को शुगर इण्डस्ट्री का बेचना है। इस लिये कम से कम 12 रुपये क्विंटल का भाव गन्ने का होना चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में पहले था।

MR. CHAIRMAN: Shri Sarjoo Pandey.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): In place of Shri Sarjoo Pandey Shri Madhukar will speak.

MR. CHAIRMAN: Shri Krishna.

SHRI S. M. BANERJEE: We have sent Shri Madhukar's name. Please correct the name in the list.

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya): Sir, there is a growing suspicion in the country that the sugar policy of the Government of India has been largely tailored to suit the needs of the millowners. The sugar industry occupies a very important place in the economy of the country. There are about 25 million cultivators and their dependents and about a lakh and a quarter of workers in various sugar mills in the country.

The sugar policy of the Government in the last 15 years has been to subserve the following interests. Firstly, to assure a fair price for the cultivator; secondly, to regulate the sugar industry and its development; thirdly, to ensure adequate cane supplies to various sugar factories in the country; and, fourthly, to protect the interest of the consumers. I am afraid, on all these counts the Government has bungled and bungled miserably. There is the pathetic sight of so many sugar factories in Uttar Pradesh closed down because of the resistance of the cultivators who have been held to ransom in the last 20 years.

[Shri S. M. Krishna]

When the hon. Minister, Shri Jagjivan Ram, visited my constituency some five or six months back, he saw me leading an agitation of the sugar-cane growers. It was not the fixation of a reasonable price that was the subject matter of the agitation but it was the question of the sugar-factory owners trying to give the cultivator the price in three instalments lasting up to five years. The cultivator resented that policy of the sugar factories.

In my own constituency, there are two sugar factories, one run under the co-operatives and the other one run by a joint stock company in which 51 per cent of the shares are owned by the Government of Mysore. The Government owned joint stock company are paying Rs. 100 per tonne whereas the cooperative sugar factory which is not even 8 miles away is paying Rs. 175. At a distance of only 7 or 8 miles, there is a disparity of Rs. 75. As a cultivator who supplies sugarcane to the Mandia Sugar Company, managed by the Government of Mysore, I have to supply cane at Rs. 100. In Mysore State, there is one other sugar mill up in the north which pays Rs. 210 per tonne of sugarcane. There must be some method, some rationale, behind it. There is this much disparity in Mysore State. It has been pointed out that there is a great disparity in Kerala, Madras, Uttar Pradesh and north Bihar. I plead, on two counts, there must be a minimum reasonable price for the sugarcane and, secondly, there must be a certain semblance of uniformity throughout the country. After all, the cost of cultivation is, by and large, the same throughout the country. Even if there is some disparity, it must not be so glaring, as we find today.

When I plead for the cultivator, I would be failing in my duty if I forget the consumer. The consumers' interest has also to be safeguarded. Today, in the rural areas, sugar has become a rarity. Sugar is not freely available in the rural areas at the controlled price. If a person in the rural area has to buy sugar, he goes to the co-operative society. Sugar is not available there because in most of the co-operatives, sugar has taken the root of black-market. The people in the rural areas go to the free market and they will have to pay double or treble the controlled price.

I may also plead for the cause of the sweetmeat vendors, the sweetmeat manufacturers, the small hotel-keepers and these *halwals*. Their demands also have to be accommodated. I am not minimising the complication of this problem. It is rather a difficult problem. The hon. Minister in-charge of Food and Agriculture in the Government of India is in an unenviable position. This portfolio has become some sort of a sugar-coated bitter pill for him. But none-the-less, with the experience which he has gained and the seniority he commands in the party and the Government, the cultivator and the consumer feel that under Mr. Jagjivan Ram, their interests would be safeguarded.

Then, Prof. Ranga and Mr. Vajpayee, both these leaders, have made the plea that if the cultivator is not given a fair deal, if the interest of the cultivator is going to be sacrificed at the altar of the sugar-mill owners, then the only alternative before the cultivators is to organise themselves and to wage a struggle, an agitation, to safeguard their interests.

श्री क० ना० तिवारी (बिहार) :  
सभापति महोदय, पाण्डेय जी ने यहां पर जो यह प्रस्ताव रखा है, उसका दायरा बहुत महदूद है। आज हालत यह है कि बहुत सी मिलें, नायं बिहार, विहार, यू० पी० और दूसरे स्थानों पर बन्द हैं, उनको केन नहीं मिल रहा है। किसानों की तरफ से बहुत जबरदस्त स्ट्राइक है कि जब उनको उचित मूल्य मिलेगा तभी वे मिलों को केन सप्लाई करेंगे। बहुत दिनों के बाद गत साल सरकार ने यह पालिसी अस्तियार की थी कि 60 परसेन्ट चीनी कंट्रोल में रहेगी और 40 परसेन्ट चीनी की छूट मिल मालिकों को रहेगी। उसी पालिसी के कारण गत वर्ष मिल वालों ने 22.5 लाख टन चीनी की पैदावार की थी। मैं समय की कमी के कारण उन आकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन बीज, दुलाई, कटाई, खाद, जोताई, गड़नी इन सारी चीजों के बाद-चूंकि मैं स्वयं एक कास्तकार हूँ इसलिए जानता हूँ—करीब-करीब 2373 रुपये आकर खर्चा पड़ता है और अब इसमें मालगुजारी बगैरह भी जोड़ दी

बाए तो यह करीब 3283 रुपये पड़ जाता है। अब अगर चार रुपये का भी भाव हो, तो भी किसान को एक एकड़ में 383 रुपये का घाटा पड़ता है, अगर किसान की पैदावार 500 मन भी है। इसमें उसको नफा नहीं होता है। ऐसी दशा में किसानों की जो यह श्रांग है कि उनको गन्ने का उचित मूल्य मिले, कम से कम 10.72 रु० पर-क्वॉन्टल, तो वह बिल्कुल जायज चीज है। अगर यह नहीं होता है तो फिर उसका नतीजा यह होगा कि किसान गन्ने की बुवाई छोड़ देंगे, और फिर हमारे सामने एक क्राइसिस भा जाएगी। लास्ट ईयर चूँकि गन्ने की कीमत ज्यादा थी इसलिए 27-28 लाख टन चीनी की पैदावार हो गई थी। इसमें से आप एक लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करते हैं और तीन लाख टन का बफर स्टॉक बनाएंगे। अब अगर 28 लाख टन का भी प्रोडक्शन हो तो उसमें से चार लाख टन तो यह निकल गया, बचा 24 लाख टन जिसमें कंट्रोल भी है और डी-कंट्रोल भी है। अब आपने इसका रेशियो 70 और 30 परसेंट का रखा है। ये चीनी मार्केट में आएगी लेकिन अपने देश का इनर कन्जम्शन 29 लाख टन का है। ऐसी अवस्था में मार्केट में चीनी के दाम कम नहीं रहेंगे। ब्याह-शादी और ऐसे दूसरे अवसरों पर लोगों को चीनी खरीदनी ही पड़नी है। आप शहर वालों को तो खिला देंगे और उस तरफ हमारे जो भाई बैठे हुए हैं वे मजदूरों के लिए हल्ला मचाएंगे तो उनको भी आप देंगे लेकिन जो बेचारे किसान हैं उनको जब उचित दाम नहीं मिलेगा तो फिर वे गन्ना नहीं बोएंगे। इस तरह से अगले साल फिर आपके सामने यह क्राइसिस आएगी। इसलिए मेरा सरकार को यह सुझाव है कि जिस तरीके से पिछले साल आपने 60 और 40 का परसेन्टेज रखा था, उसी को आप फिर से कायम कीजिए और अगर 60 और 40 नहीं कर सकते हैं तो फिर आपने जो 70 और 30 रखा है उसको वहाँ तक अधिक से अधिक हो सकता है, बढ़ाएं। इसके साथ

साथ आप मिल वालों से कहें कि वे कम से कम चार रुपए मन के हिसाब से किसानों को गन्ने का दाम दें। इस प्रकार के निर्देश आप दें और ऐसी पालिसी एनाउन्स करें।

एक बात मुझे यह कहनी है कि गोरऊ मिल को गवर्नमेंट टेक-ओवर करले। वहाँ पर हजारों मजदूर बेकार हैं और किसानों की ईख जा नहीं रही है। उसकी वजह से उस एग्गिया की हालत बड़ी खराब हो रही है। ऐसी हालत में गवर्नमेंट को चाहिए कि उस मिल को टेक-ओवर कर ले और उसके बाद अपने आप चलावे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज गवर्नमेंट की यह आदत हो गई है कि जब आग लगे तभी कुआँ खोदती है। गवर्नमेंट को पहले ही फोर-सी करना चाहिए था और अफसरों को यह एडवाइस मिनिस्टर को देनी चाहिए थी कि 70 और 30 परसेंट का रेशियो तय करने से पहले मिल मालिकों से बात कर लेनी चाहिए कि मिल को चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी और जो केन प्रोअर्स के रिप्रजेन्टेटिव थे उनसे भी बात कर लेनी चाहिए थी। अब हालत यह है कि दिसम्बर का महीना आया है। मिलें अक्टूबर के लास्ट वीक से चलती थी, हर साल। आप 28 लाख टन चीनी पैदा करेंगे। अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में गर्मी शुरू हो जायेगी और ईख सूखने लगेगी जिसके कारण किसान को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो भी पालिसी अख्तियार करें उसको एनाउन्स करके शीघ्र अमल में लायें।

श्री क० मि० मणुकर (केमरिया):  
सभापति महोदय, पहले इसके कि मैं अपना भाषण शुरू करूँ, मंत्री महोदय ने अपने एक भाषण के दौरान जो इस सम्बन्ध में कहा है उसका एक अंग मैं सदन के सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ :

"There is another point which merits consideration. The farmer should get an



adequate price for his produce and the consumer should not be called upon to pay an exorbitant price for it."

मन्त्री महोदय ने किसानों और उपभोक्ताओं के लिए जो यह बात कही है वह केन्द्रीय सरकार की इस बारे में घोषित नीति से मेल खाती है लेकिन हमारी शिकायत यह है कि दरअसल इस नीति पर अमल नहीं हो रहा है और यह महज बोलने तक ही सीमित है। हो यह रहा है कि जहाँ भी बोलने की जरूरत पड़ी मन्त्री महोदय इस तरह से बोल दिया करते हैं लेकिन फिर उसके बाद कोई ठीकाना नहीं रहता है कि जो उन्होंने अपना उद्देश्य रखा है और जो वह कहते हैं उसे अमल में लाते हैं या नहीं।

सरकार कहने को तो समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है लेकिन मेरी शिकायत यह है कि सरकार समाजवाद का महज झूठा स्वाँग रचती है। समाजवाद की स्थापना तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि किसानों की हालत में सुधार नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि चीनी के सम्बन्ध में जो सरकारी नीति है वह मन्त्री महोदय की ओर से जो कहा गया है उसमें कोई मेल नहीं खाती है। इन लोगों के दिमाग में पूँजीपति वर्ग के लिए चिन्ता रहती है और दुःख का विषय है कि उनको ध्यान में रख कर चीनी नीति सरकार बनाने की फिक्र में रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि बहुत से प्रांतों में चुनाव लड़ने के लिए फंड्स मिलने चाहिए और बड़े बड़े पूँजीपतियों से फंड्स मिलते ही हैं और इस लिहाज से सरकार पूँजीपतियों को केवल चिन्ता करके अपनी चीनी नीति बना रही है। दूसरी ओर किसानों की ओर सरकारी उपेक्षा साफ दिखाई दे रही है। ऐसा कोई इधर के विपक्ष के सदस्य ही कह रहे हों सो बात नहीं है बल्कि स्वयं सरकारी पक्ष की तरफ बैठने वाले कई सदस्यों ने भी इसी बात को कहा है कि किसानों को गन्ना पैदा करने में जो

सर्चा आता है उसके हिसाब से उसे उसकी प्रोड्यूस की उचित कीमत नहीं मिलती है उसे रेम्युनेरेटिव प्राइस शुगरकेन की नहीं मिलती है साथ ही चीनी के जो उपभोक्ता लोग हैं उनको भी अधिक भाव पर चीनी मिलती है। मैं समझता हूँ कि सरकार को किसानों के गन्ने की निम्नम प्राइस ४ रुपये प्रति मन निश्चित कर देनी चाहिए, साथ ही कन्ज्यूमर्स को भी मुनासिब दाम पर चीनी दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आज हालत यह हो रही है किसान ब्लाकों में और दूसरे अफसरों के यहाँ चीनी के लिए दौड़ता रहता है। घर में लड़की की शादी है या लड़के का जनेऊ है अथवा और कोई दूसरे ढंग का काज है लेकिन उसे उन के लिए चीनी नहीं मिल पाती है। खुले मार्केट में भी चीनी मिलने में कठिनाई होती है और दाम भी बहुत अधिक होते हैं। गाँवों में चीनी की बड़ी कठिनाई है और कन्ज्यूमर्स को चीनी देने की कोई माकूल व्यवस्था नहीं हो पाई है।

बिहार और उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन में देश में भर में सबसे बड़ा हिस्सा अदा करते हैं। अब वहाँ की स्थिति यह है कि बिहार में ९ चीनी मिलें पहले से बन्द हैं और अधिक के बन्द हो जाने की सम्भावना है। जैसा कि कल के "नवभारत टाइम्स" तथा "पेट्रियाट" में खबरे छपा है यू० पी० में भी कई मिलें बन्द हो गयी हैं और हरियाणा और दूसरी जगहों में भी कई मिलें बन्द होने जा रही हैं। किसानों में इस को लेकर भयंकर असन्तोष है और हरियाणा, यू० पी० तथा बिहार में इस नीति के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा हो गया है। यह चीज समझ में नहीं आती है कि आज जो चीनी पैदा करते हैं उन को ही चीनी इतनी महंगी दर पर खरीदनी पड़े। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो गन्ना पैदा करते हैं उन्हें गन्ना पैदा करने में जो सर्चा आज आता है उस के हिसाब से उन्हें गन्ने की उचित कीमत मिलनी चाहिए

जिससे कि वह गन्ना बोने के लिए प्रोत्साहित हों। पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरे प्रान्तों में किसानों को यह माँग बन गयी है कि सरकार को मिल मालिकों को इस बात के लिए मजबूर कर देना चाहिए कि वह किसानों को उनके गन्ने के उचित दाम दें और जैसा मैंने कहा किसानों को 4 रुपये प्रति मन के हिसाब से कम से कम दाम मिल सकें।

मेरी शिकायत यह है कि सरकार ने शुगरकेन इंडस्ट्री में जो करीब 2 लाख मजदूर लगे हुए हैं उनके हितों पर भी ध्यान नहीं दिया है। आज स्थिति यह है कि गन्ने की पिराई का काम अक्टूबर-नवम्बर में शुरू हो जाया करता है लेकिन अब के वह पिराई का काम शुरू नहीं हुआ है और बहुत देर में इस बार हो रहा है।

मिलों को गन्ने की सप्लाई बहुत कम हो रही है और इस कारण बहुत कम समय में ही चीनी मिलें बन्द हो जाती हैं और बहुत सी चीनी मिलें बन्द भी हो रही हैं। जिसमें कि लोगों को काम नहीं मिल सकेगा और परिणामतः वहाँ के मजदूरों की हालत बुरी हो रही है। अब कभी कभी कंज्युमर्स की रात तो चल भी जाती है और सरकार को उंगे सुनना पड़ता है लेकिन मजदूरों की आवाज उन तक नहीं पहुँचती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि चीनी सम्बन्धी नीति निर्धारित करते समय ईख उत्पादकों, मजदूरों, उपभोक्ताओं तथा गन्ना उद्योग के विकास की ओर ध्यान दे। सरकार की इस बारे में ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्युमर्स और जो उस इण्डस्ट्री में मजदूर लगे हुए हैं सबके हितों की हिफाजत हो सके।

बिहार में ही ऐसे मिल मालिक हैं जिनके पास लाखों लाख रुपया केनट्रोअर्स का बकाया है। उनको दिलवाने के लिए सरकार

की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मैं चाहूँगा कि जिन मिल मालिकों के पास से किसानों के पिछले बकाया का आज तक भुगतान नहीं हो पाया है उसे भुगतान कराया जाय।

जैसा कि स्वयं अपनी रिपोर्ट में बतलाया गया है सहयोगी समितियों के अन्दर चलने वाली मिलों में उत्पादन, सहकारी नियमों के पालन तथा व्यवस्था में अधिक श्रेष्ठता दिखलाई है। इसलिए आज जरूरत इस बात की हो गई है कि इस चीनी उद्योग को सरकार पूर्णतः अपने नियन्त्रण में लावे क्योंकि प्राइवेट मिलें व्यवस्था को ठीक नहीं रख पाती हैं। उसको नेशनलाइज करने की जरूरत है। अगर इस धंधे को नेशनलाइज नहीं किया जायगा तो इस देश में पूँजीपतियों की जो लूट चल रही है उसे और भी छूट मिल जायगी और उसके चलते किसानों और मजदूरों की बुरी अवस्था होगी। साथ ही साथ आम जनता को जो कि चीनी का इस्तेमाल करती है उसे भी बहुत कठिनाई पैदा हो जायगी। इसलिए जैसा श्री वाजपेयी ने कहा है हमें पूरी समस्या को दृष्टि में रखकर व्यवस्था करनी होगी। मिल मालिकों के पास किसानों की बकाया है उसका भुगतान कराया जाय। मिल मालिकों के पास सरकार का काफी सेंस का टेक्स बकाया है जोकि उनसे वसूल नहीं हो पा रहा है। सरकार को इस बकाया टेक्स को भी उनसे वसूल करने की व्यवस्था करनी चाहिए। रोना इस बात का है कि सरकार के दिल में मिल मालिकों के लिए एक सॉफ्ट कोरनर है लेकिन किसान, मजदूर और कंज्युमर्स की उस कोई चिन्ता नहीं है। इसलिए सरकार को जो सेंस बकाया है वह उनसे वसूल करना चाहिए। गन्ने की न्यूनतम कीमत 10 रुपये प्रति क्विंटल से कम नहीं होनी चाहिए और वह कीमत उन्हें दिलबानी चाहिए ताकि वह गन्ना बोने के लिए प्रोत्साहित हों बरना जाने वाल बच्चों में किसान गन्ना बोना कम करते जायेंगे। इस बात की

भी जरूरत है कि इस शुगर इण्डस्ट्री को नेशनलाइज किया जाय। किसानों के गन्ने का न्यूनतम दाम फिक्स कर दिया जाय और गन्ने के भाव के साथ साथ चीनी का भी न्यूनतम दाम तय कर देना चाहिए।

**SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda):** At this late hour, I do not wish to take up too much time of the House, nor do I want to go into details. But I would highlight a few points.

I represent a State where our only industry is sugar. We have got over 70 mills and these are passing through a very grave crisis. Usually, we start the factories in October or at the latest in the first week of November. But now we are nearly half-way through December and have not yet started.

Who stands to lose? The cultivator of course loses because his cane is drying in the field. He is not only losing but—I have seen it for myself—he will not be able to clear the field on time and plant the next crop.

Secondly, labour loses. The seasonal labour loses if they work for only 3 months. In one year, they did work for only 3 months. So they get pay for a few months, and for the rest of the period they get nothing. Even the permanent labour gets only half the salary for these months. So this is a serious loss for labour.

The factory-owners also lose. As you know, last year in UP, they paid Rs. 15-17 for cane. Now the cultivators naturally want a higher price. I am very glad that the UP factory-owners on their own have decided to pay Rs. 9.50 in the western districts and Rs. 9 in the eastern districts. But it is true that they are not getting the cane even at that price. Therefore, something more has to be done. Their demand is that the price should be pushed up at least to Rs. 12; only then will they be able to get sugarcane for the factories. It is for the Government to examine whether they can do it, that is raise it up to Rs. 12.

If the price is raised to Rs. 12, it is natural that the factory owners would want some

kind of compensation. Last year, an incentive was given to the factory owners that if they crushed sugar beyond the target, then for the quantity crushed beyond the target, they would get a concession in excise. That was a very good incentive and they were able to crush more. I would like Government to consider this device.

Last year the levy ratio was 60 and 40. Now it has been changed to 70 and 30. If the price is raised, Government may consider whether they could not restore the ratio to that of last year. Or there is another method, to increase the levy price a little and with that compensate the factories. Otherwise, they may not be able to pay the higher price.

We have to take all things into consideration. I do know that sometimes factory owners do play tricks and deliberately delay starting of factories. Having once been in the State Government, I know. But in that case, we have to persuade them, and pressurise them, if necessary, to start the factories.

This year, the situation is peculiar. I am not inclined to blame the factory-owners alone. The situation is such that you have to think of the interests of the cultivators as well as those of the factory-owners.

I understand that the sugar stocks are also running very low. Within a short while I think we will be short of sugar. Therefore, this matter cannot be played with any more. It should be given the highest priority, and with the utmost urgency some settlement must be made.

Then, Sir, why should we not take a long-range view? Even when I was in U. P. I was asking the Central Government again and again that we should do so since the sugar industry is a fairly important industry of our country. Why do we want fluctuation in price every year? Why do we want uncertainty every year? Why can we not fix the price both for sugarcane and sugar for a period of three or four years so that it can be reviewed later again? Let it not be one year arrangement, let it not be ten years. Let it be for a substantial number of years so that both the canegrowers and the factory owners can achieve some balance,

can go ahead and plan, can know what the position is. Only then will the sugar industry get some stability. The manner in which the sugar industry has been running in this country is most deplorable and this should not continue.

SHRI K. RAMANI (Coimbatore) : The Government's sugar policy is in a complete crisis. To show this I can give some illustrations. The total area under cane production has gone down. The total production of cane has also gone down. The total production of sugar has also gone down.

The farmers who are growing and supplying sugarcane have now started struggling. In U. P. as they themselves said here, more than 20 lakhs of sugarcane growers are refusing to supply sugarcane to the millowners. In Tamil Nadu also the millowners have started reducing the price of cane, and so sugarcane growers are going to organise themselves and struggle to obtain the correct price for sugarcane. Why are all these things happening? Let the Government think about.

When they introduced partial decontrol, they told the people of this country that they would take care of production, that a portion of the sugar would be distributed to the people at a fair price and the other portion would be given to the millowners for free sale in the open market so that they would also get some advantage. What is the position now?

In Tamil Nadu, there is one sugar-factory of the Parry group at Pettavatalai. In the year previous to decontrol its profit was Rs. 14 lakhs, in the post-decontrol year its profit is Rs. 45 lakhs after setting apart funds for meeting all their expenditure. Like that, the 200 millowners in the country, 71 in U. P., 34 in Maharashtra, 15 in Tamil Nadu etc., are actually amassing wealth because of this policy of the Government. Is it not true? Let them explain.

Today, the consumer is at the mercy of the millowner, and he has to go to the black market. Even for rationed sugar, in the cities of Coimbatore and Madras, people have to pay Rs. 1.80 or Rs. 1.90. The Madras Government caught hold of the millowners and made some arrangement to

sell the remaining quantity in the open market at a reasonable price, at a price agreed between them, but that price itself comes to Rs. 3.50 per kilo, and even at that price people are not getting sugar. In the village side they have to pay Rs. 4 to Rs. 5 per kilo.

The workers are not getting their demands. In Tamil Nadu more than 20,000 workers are working in the sugar industry. They did not get their minimum demand. Now, next year in the month of January after 10th or 15th they are going to stage a strike to achieve their demand. Take the farmers who are the suppliers of the raw material, the sugarcane. In Tamil Nadu all the mill-owners joined together and they have decided to reduce the price by Rs. 10 per ton. Formerly the farmers were getting Rs. 90 per ton. In U.P. I saw in the newspapers that they wanted to reduce the cane price by Rs. 8 or 9. Last year it was between Rs. 13 and Rs. 17. Similarly, in Tamil Nadu also the mill-owners have joined together and they have reduced the price from Rs. 90 to Rs. 80 per ton. This thing is not an ordinary one. The crisis has resulted on account of the policy of the Government which is pro-employer and pro-sugar mill-owner. The consumers, the workers and the farmers are all suffering now. I have heard some of the hon. Members from the Congress benches as well as Swatantra Party saying that the only remedy for this thing is a complete decontrol. Complete decontrol means that you are going to throw the entire people of this country, the consumers, the cane-growers as well as the workers, to the mercy of the profiteering mill-owners. When the sugar production is less and it is not sufficient for distribution, then partial or complete decontrol is no remedy. They will have to take the entire production under their control until there is sufficient production. They must take the entire production and try to see that the entire people in this country get sugar at a reasonable price and there is no sugar crisis. There are the Excise Department officials who are supposed to look after that no sugar is going out of their control. But in spite of all these things hundreds of bags of sugar even from the co-operative mills are going out and sold in the black

market. Now the mill-owners are trying to pressurise the Government to see that there must be an artificial scarcity in the country. Then alone they can increase the price also. They pressurise the Government to export the sugar saying that they can earn valuable foreign exchange. If the Government is going to succumb to these pressures, certainly they are going to see that several millions of peasants and also the factory workers join together and fight against their policy and ultimately see that they cannot implement this policy which is pro-employer.

**श्री विष्णुत मिश्र (मोतीहारी) :** मैं एक बात जगजीवन राम जी से जानना चाहता हूँ। आज तक जो मिलें नहीं चली हैं, इससे किसानों को कितना घाटा हुआ है, इसका अन्दाजा लगा कर वह हमें बतायें। आप देखें कि घूसी मिट्टी में जो खूटी ऊख होती है वह सूख रही है और इससे किसानों को घाटा हो रहा है। दूसरा घाटा सरकार को हो रहा है। खूटी ऊख लोग पहले दे दिया करते थे मिला में और उसके बाद गेहूँ बोना शुरू कर देते थे। अब नतीजा यह हो रहा है कि वे गेहूँ नहीं बो पा रहे हैं और खूटी ऊख सूख रही है, इसका नतीजा यह हो रहा है कि चीनी भी नहीं बन पा रही है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि सरकार की जो नीति है वह ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए कि अगर मिल वाले मिलों को नहीं चलाते हैं तो वह मिल वालों को मजबूर करती। आर्डिनेंस निकाल कर मिलों को चलवाने का प्रयत्न करती। सरकारी नौकरों ने जब हड़ताल की तो उसको रोकने के लिए हमने आर्डिनेंस निकाला। क्या इसी तरह का आर्डिनेंस मिल वालों के खिलाफ नहीं निकाला जा सकता था और क्या इसके जरिये उनको मजबूर नहीं किया जा सकता था कि वे मिलें चलायें। यह सरकार की गलती है कि आज तक इसने जो गन्ना सूख रहा है और जो नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर भगवान भी गन्ने के खेत से निकल जाये तो वह भी उसको तोड़ कर खा लेगा, इतनी भीठी यह

चीज है। आदमी के अलावा जीव जन्तु भी इसको खा लेते हैं।

मैं आप्रह करूंगा कि आज और इसी वकन जगजीवन राम जी तार दें मिल वालों को कि वे मिलों को चलायें। जहां तक कीमत की बात का सम्बन्ध है वह दस-रोज वाद भी तय हो सकती है। लेकिन मिले चलनी चाहिये।

जहां तक गन्ने की कीमत का सम्बन्ध है, मेरी मांग यह है कि हम लोगों को वारह रुपया प्रति क्विंटल मिलनी चाहिये। इसका कारण यह है कि इससे कम में हमारा जो खर्चा है, वह पूरा नहीं होता है...

**श्री डा० ना० तिवारी :** क्या यह गैलरी के लिए है ?

**श्री विष्णुत मिश्र :** यह गैलरी के लिए नहीं है। सभापति महोदय, आप देखें कि तिवारी जी जिस क्षेत्र से आते हैं जहां गन्ना नहीं होता है।

हमारे यहां कहावत है कि जिसके पंर में बिवाई नहीं है, वह दूसरों के दुःख और पीड़ा को नहीं जान सकता है। इनके खेत में गन्ना नहीं पैदा होता है। हम गन्ना पैदा करते हैं। वह हमारी समस्याओं को कैसे जान सकते हैं ?

19 Hrs.

**श्री डा० ना० तिवारी :** मेरे क्षेत्र में फैंक्टरियां हैं।

**श्री विष्णुत मिश्र :** इसका अर्थ यह है कि यह दूसरों को एक्सप्लायट करते हैं।

पिछले साल यह स्थिति थी कि हमने 15, 16 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बीज खरीदा। तब बीज मिला नहीं रहा था। 40 परसेन्ट फ्री और 60 परसेन्ट कन्ट्रोल्ड शुगर की रेशो रबी गई थी। इस अवस्था में सब लोगों ने अपना गन्ना मिलों को देने का विचार किया।

अध्यक्ष महोदय, आप खुद किसान हैं और आप समझ सकते हैं कि आज क्या हालत है। बीज के अलावा फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई है। मजदूरी की दर भी बढ़ गयी है। जिस जमीन पर किसान गन्ना लगाता है, वह 8,000 और 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बिक रही है। हम लोग जो गन्ना पैदा करते हैं, उससे शहर वालों को खिलाने के लिए चीनी बनती है। आप देखिये कि सिनेमा में कितनी भीड़ होती है। लेकिन अगर चीनी का दाम दो चार आने बढ़ जाये, तो हल्ला होने लगता है कि हाउस वाइफ को तकलीफ होगी। लेकिन हाउस वाइफ के लड़के सिनेमा में खूब पंसा खर्च करते हैं। वहां पर पंसा खर्च करने में किसी को तकलीफ नहीं होती है।

अगर कृषि मंत्री कोई एनाउन्समेंट करने से पहले किसानों, फैंक्टरीज और गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव्स की एक मीटिंग बुलाते और वे सब बैठ कर कीमत तय करते, तो यह हाइत न होती। इस बारे में देर करने से हम लोगों की बदनामी हो रही है। सरकार की नीति के कारण लोगों में असन्तोष है। समझ में नहीं आता है कि सरकार के मन में क्या है। आज तक सरकार ने फैंक्टरीयों को चलवाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। सरकार को फैंक्टरीयों को चलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कीमत का मामला दो चार रोज बाद में तय हो सकता है। इसमें बहुत देरी हो गई है।

मेरे जिले में नवम्बर के तीसरे सप्ताह में क्रशिंग शुरू होता था। उस समय रीकवरी कम होती थी और सरकार कुछ लोगों को सहूलियत देती थी। वह भी बन्द हो गया है। आज सरकार के पास चीनी नहीं है। चीनी का दाम चालीस, पचास रुपये बढ़ गया है। चीनी का दाम ज्यादा होने से लोगों को दिक्कत हो रही है।

मन्त्री महोदय खुद किसान हैं। वह जानते हैं कि किसानों को क्या तकलीफें हैं। इसके बावजूद आज तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया है। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को बारह रुपये प्रति-क्विंटल मिलना चाहिए। हमारे यहां उत्तर बिहार में शूगर फैंक्टरीज की वजह से लोगों की आर्थिक हालत में सुधार हुआ है। मेरे जिले में नौ शूगर फैंक्टरीयां हैं। पहले मेरे जिले में दस बारह मील पर शायद एक पक्का मकान दिखाई देता था, लेकिन आज हर एक गाँव में कई पक्के मकान बन गए हैं, क्योंकि शूगर इण्डस्ट्री के लोगों की इकोनॉमिक हालत अच्छी हो गई है। बिहार के शूगरकेन का पचास फीसदी मेरे जिले चंपारन में पैदा होता है।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि वह जल्दी दाम एनाउंस करके शूगर फैंक्टरीयों को चलवायें।

श्री प्रकाशश्रीर शास्त्री (हापुड): सभापति महोदय, मैं अपनी बात किसी लम्बे भाषण के रूप में न कह कर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में कहना चाहता हूँ।

दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में इस बार ईस की फसल को कई प्रकार की कठिनाइयों में से निकलना पड़ा है। इस बार उत्तर प्रदेश के किसान को और वर्षों की अपेक्षा सिंचाई और खाद पर अधिक व्यय करना पड़ा है। लेकिन जैसा कि कृषि मंत्री महोदय स्वयं परिचित हैं, सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि पायरिला नामक कीड़ा लग जाने से उत्तर प्रदेश में ईस की फसल एक-तिहाई रह गई है। विशेष रूप से उसका ऊपर का हिस्सा, जो पशुओं को खिलाने के काम में आता है, बिल्कुल बेकार हो गया है। इस स्थिति में यद्यपि किसान को अधिक खर्च करना पड़ा है, लेकिन उसको अपनी उपज का मूल्य कम मिलेगा।

मैं चाहता हूँ कि कृषि मंत्री मिल-मालिकों के सामने यह सुझाव रखें कि जहाँ तक इस समस्या का सम्बन्ध है, इसमें किसान और मिल-मालिक दोनों समान साक्षीदार हैं। अगर इस बार मिल-मालिक कुछ कठिनाई उठा कर भी किसानों को सन्तुष्ट कर सकें, तो किसानों में अगले वर्षों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और गन्ने के तथा चीनी के उत्पादन का सन्तुलन बराबर बना रहेगा। मैं यह नहीं चाहता कि सरकार मिल-मालिकों को इतना दबाये कि अगले माल से वे मिलें ही न चलायें। लेकिन मैं इतना अवश्य चाहता हूँ कि चूंकि इस साल किसानों को अधिक व्यय करना पड़ा है, इसलिए मिल-मालिक थोड़ा-बहुत नुकसान उठा कर भी मूल्य के सम्बन्ध में किसानों को विशेष रियायत दें।

ईख के दाम हर साल नये सिरे से तय करने के बजाय इस सम्बन्ध में सामान्य सिद्धांत तय किए जाने चाहिए, जिससे उत्पादन में सन्तुलन रखा जा सके। हमारे प्रांत की स्थिति यह है कि जिस साल ईख का दाम अच्छे मिल जायें, उस साल ईख ज्यादा हो जाता है और जिस साल गले के दाम अच्छे मिल जायें, उस साल गल्ला ज्यादा हो जाता है। इस सम्बन्ध में सन्तुलन बनाए रखने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। मान लीजिये कि मिल-मालिक कह चुका है कि वह साढ़े नौ रुपए दे सकता है और इस सदन में साढ़े दस रुपए, ग्यारह रुपए और बारह रुपए की मांग रखी गई है। मंत्री महोदय मिल-मालिकों से पूछ लें कि वे अधिक से अधिक क्या दे सकते हैं। उतना तो किसान को इस समय दिला दिया जाए। इसके बाद बाजार में चीनी जिस भाव पर बिके, उसका प्रतिशत किसान को मिलना चाहिए। मद्दास में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। श्री शिन्दे परिचित होंगे कि महाराष्ट्र में कुछ को-ऑपरेटिव केन्द्रियों ने भी यह व्यवस्था की हुई है। मैं समझता हूँ कि न तो किसानों को

और न मिल-मालिकों को इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति होगी। अगर खाद्य और कृषि मंत्री इस सुझाव को व्यावहारिक पायें, तो वह इसको कार्य रूप में परिणत करें।

आज स्थिति यह है कि किसान जो गन्ना पैदा करता है, वह मिलों को दे देता है, लेकिन अपनी आवश्यकता के लिए चीनी प्राप्त करने के लिए वह एप्लीकेशन लिए हुए तहसीलदार के सामने खड़ा रहता है। मेरा सुझाव यह है कि किसान को गन्ने का जो मूल्य दिया जाए, उसका कुछ प्रतिशत उसको चीनी की शकल में अवश्य मिलना चाहिए। कम से कम अपनी आवश्यकता की चीनी प्राप्त करने के लिए उसे सरकारी दफ्तरों में न झांकना पड़े।

जहाँ तक चीनी के निर्यात का सम्बन्ध है, श्री पाटिल ने विदेशों में चीनी का बाजार खोजने की आवश्यकता तब महसूस की, जब कि एक बार देश में हमारी खपत में अधिक चीनी पैदा हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद कभी भी इतनी चीनी पैदा नहीं हुई, जो कि हमारी अपनी खपत के लिए भी पर्याप्त हो। इसके बावजूद हम केवल विदेशी बाजार बनाए रखने की दृष्टि से चीनी के निर्यात को सबसिद्धांज कर के हर साल करोड़ों रुपय का घाटा उठा रहे हैं। मेरा अनुमान है कि अगर यह अस्थिर नीति चलती रही, तो अगले कई वर्षों तक भी देश में चीनी का उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि देश में चीनी के अभाव की स्थिति और उसके निर्यात पर करोड़ों रुपए के घाटे की दृष्टि में रख कर मंत्री महोदय इस नीति पर पुनर्विचार करें कि क्या इतना घाटा उठा कर हमें विदेशी बाजार बनाए रखने की आवश्यकता है।

मारिशस और जावा आदि जिन देशों में गन्ना ज्यादा पैदा होता है, वहाँ पर मिल एक किसान का का पूरा गन्ना एक साथ पेर देती है। उससे पता चल जाता है कि उस

गन्ने की रिकवरी क्या है। हमारे देश में यह होता है कि सौ मन गन्ना एक किसान का, सौ मन गन्ना दूसरे किसान का, इस प्रकार कई किसानों का गन्ना एक साथ पेर दिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि किसान को अपने गन्ने की क्वालिटी सुधारने के सम्बंध में कोई उत्साह नहीं रहा। वह जानता है कि सब किसानों के गन्ने का जो परसेन्टेज आएगा, उसी के आधार पर उसे पैसा मिलने वाला है और इस लिए वह अपने गन्ने की नस्ल सुधारने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि एक किसान का गन्ना अगर पूरा एक साथ मिले पेर दें और उसकी रिकवरी के आधार पर उसको पैसा मिले तो अगले वर्ष के लिए उसको अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस बात पर भी कृषि मंत्री को विचार करना चाहिए।

**श्री कांबले (लातूर) :** सभापति जी, गन्ने तथा चीनी के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि देश में इस प्रकार का कोई फर्क न हो। एक जगह पर एक भाव दिया जाता है और दूसरी जगह पर दूसरा भाव। मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र में सौ रुपये भाव दिया जाता है और अन्य जगहों में 155 रुपये का भाव दिया जाता है। तो यह फर्क क्यों किया जाता है? किसानों में इस बात पर जब चर्चा होती है तो एक असंतोष सा उनके मन में फैल जाता है। मैं कहूंगा कि देश की एक नीति बननी चाहिए। जहाँ भी जो उत्पादन होता है वहाँ उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। गन्ना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहाँ भी चाहें वहाँ हो जाय। जहाँ पानी हो, जहाँ खाद हो और जहाँ किसान अपने खून का पसीना बना कर गन्ना उगाता है वहाँ यह होता है। तो जहाँ का उत्पादन बढ़ता है वहाँ उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जहाँ जितनी फीसटियां खुली हुई हैं वहाँ उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्योंकि हर जगह हर

चीज देश भर में पैदा नहीं होती। पंजाब में गेहूँ पैदा होता है, बिहार और आन्ध्र में चावल पैदा होता है। तो यह चीज ऐसी है कि जहाँ पर जो चीज बनती है वहाँ उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। एक माननीय सदस्य कल कह रहे थे कि कुछ कारखानों के लाइसेंस रोक देने चाहिए.....(व्यवधान) .....ठीक है, मैं तो कहूंगा कि जहाँ जो चीज बनती है वहाँ उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। उसको रोकना नहीं जाना चाहिए। कहीं का लाइसेंस रोक कर कहीं पर फीसट्री बनाई जाय यह ठीक नहीं है। वाजपेयी जो फिर विचार कर लेंगे कि उनको प्रोत्साहन देना चाहिए या नहीं जहाँ जो चीज बनती है। लेकिन जब हम यह चीज करने जाते हैं तो हमको हर जगह फर्क नजर आता है। जहाँ के लोग अपने कारखाने ज्यादा दिन चलाते हैं, ज्यादा गन्ना पैदा करते हैं उनके लिए फर्क किया जाता है। मेरे पास शुगर एम्बवायरी कमीशन की रिपोर्ट है। इसके पेज 178 पर यह दिया है। इसमें चार पांच जोन हैं। उनकी कीमत अलग-अलग दी हुई है और इसके साथ-साथ जो कारखाने 110 दिन चलते हैं वहाँ तो 33.49 परसेंट कीमत ठहराई हुई है और जो कारखाने 155 दिन चलते हैं उसके लिए 27.88 परसेंट कीमत ठहराई है। यह फर्क क्यों किया जाता है? जो लोग ज्यादा दिन कारखाने चलाते हैं, मजदूरों को ज्यादा काम देते हैं और उत्पादन ज्यादा करते हैं उनके लिए फर्क किया जाता है। इसी तरह से दूसरी बात मैं कहूंगा कि जिनका परसेन्टेज ज्यादा है रिकवरी का उनको भी आपने कम कर दिया है। इसी रिपोर्ट में अगले पेज पर बताया है, पेज 190 पर पांच जोन्स का हिसाब दिया है, जोन नम्बर 1 में जहाँ पर 11.45 परसेंट रिकवरी है और जो कारखाना 156 दिन चलता है वहाँ 23.85 परसेंट देते हैं और जहाँ गन्ने की रिकवरी 8.23 परसेंट है और जो कारखाना 170 दिन चलता है उसके लिए आप 31.35 परसेंट देते हैं। इसका मतलब तो यह हो



[ श्री कांबळे ]

गया कि जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, कारखाना ज्यादा दिन चलाते हैं, जिनकी रिक्वरी ज्यादा है उनके लिए कम कर दिया और जो लोग कम चलाते हैं, जिनकी रिक्वरी कम है उनके लिए ज्यादा कर दिया। तो यह जो फर्क है और यह जो असमानता है, यह असंतुलन नहीं रहना चाहिए। इससे एक प्रकार का असंतोष फैलता है। मैं तो कहूंगा कि जो लोग कारखाने में या खेती में उत्पादन बढ़ाते हैं उनको तो गवर्नमेंट की ओर से बरणीस मिलती है। जैसे अनाज है, जिस खेत में 4 क्विंटल के बजाय 10 क्विंटल किसान पैदा करता है उसको बरणीस देते हैं ताकि उत्पादन हमारा बढ़ जाय। लेकिन यहाँ तो यह देखा जाता है कि जो कारखाना ज्यादा दिन चलाते हैं, जिनकी रिक्वरी का परसेंटेज ज्यादा है, ज्यादा जिन लोगों को काम देते हैं उनका परसेंटेज कम कर दिया है। यह असंतुलन ठीक नहीं है। इसी प्रकार उनके मुनाफे को भी कम कर दिया है। पेज 191 पर यह बताया है। उसमें दिया है कि फस्ट जोन में जिसका रिक्वरी का परसेंटेज 11.45 है उसका रिटर्न 8.59 बताया है और जिनको रिक्वरी 8.32 परसेंट है जो थर्ड जोन में आता है जिसके लिए आपने थर्ड जोन में 31.35 परसेंट जिसका दिया है उसका रिटर्न 10.04 दिया है। इस प्रकार से यह फर्क ठीक नहीं मासूम पड़ता है।

मैं एक चीज और कहूंगा। महाराष्ट्र के बारे में एक चीज ऐसी है कि वहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। ज्यादातर को-ऑपरेटिव बेसिस पर वहाँ फैक्ट्रियाँ चलती हैं और यह भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ का किसान ज्यादा मेहनत करके ज्यादा खाद डाल कर ज्यादा गन्ना पैदा करता है और वहाँ गन्ने के तैय्यार होने में 18 महीने लगते हैं जबकि दूसरी जगह 12 महीने में ही गन्ना तैय्यार होता है। तो यहाँ पर उस से बड़े गुना समय

सगता है। उसका हिसाब भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ-साथ वहाँ पर जो सेस है वह 400 रुपये एकड़ देना पड़ता है जबकि दूसरी जगह तकरीबन 30 परसेंट होता है। तो यह भी फर्क आपको ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ लोग उत्पादन ज्यादा बढ़ाते हैं, जहाँ मेहनत ज्यादा करते हैं और जहाँ गन्ना ज्यादा देर में तैय्यार होता है, गन्ने के उत्पादन में देरी लगती है ऐसी जगहों का ख्याल आपको जरूर करना चाहिए और एक नीति होनी चाहिए। इस समय हर बात में हर जगह अलग-अलग नीति है। धान्य की नीति में अलग-अलग भाव बन रहे हैं। तो जहाँ पर सारे देश की एकता रखनी है और भावनात्मक ऐक्य की बात करते हैं वहाँ कम में कम किसान में भावनात्मक ऐक्य लाना है तो आपको यह करना होगा कि देश में इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर, सारी पोजीशन को ध्यान में रखकर सारी कीमत को एक-सा करना होगा ताकि किसानों को दाम मिल सकें, कारखाने चल सकें और उनके अन्दर संतोष फैल सके।

श्री महंत द्विग्विजय नाथ (गोरखपुर) : सभापति जी, मैं ऐसे अंचल में आता हूँ जिसे जावा आफ इण्डिया कहा जाता है। केवल गोरखपुर और देवरिया में 27 चीनी की मिलें हैं और वहाँ की समस्या इतनी कठिन हो रही है कि जिसका ठिकाना नहीं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। अभी तक मूल्य निर्धारित न करने के कारण यह सौदा किया जा रहा है। मिल मालिक चाहता है कि किसानों को कम से कम दे और अधिक से अधिक लाभ वह उठाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारी प्लानिंग जो है ऐग्रीकल्चर की वह डिफेक्टिव है दूसरे देशों के मुकाबले में। वहाँ पर यह है कि कितनी हमको शक्कर पैदा करनी है, कितना गेहूँ पैदा करना है, कितना चावल पैदा करना है, इसका अनुमान वह बना लेते हैं और उधे के अनुसार उसकी कीमत एट पार रखते हैं।

जितनी जरूरत होती है, गवर्नमेंट डिक्लेट करती है कि इतना गन्ना बोओ, इतना चावल, इतना गेहूँ। यहाँ यह असमानता होने के कारण किसी साल तो आप गन्ने की कीमत ज्यादा दे देते हैं जिससे वह चावल और गेहूँ कम पैदा करते हैं और किसी साल इसका उलटा हो जाता है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ पार साल फायदा इतना हुआ कि किसानों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि 5 रुपये चार आने एक मन की कीमत हम अगले साल देंगे। लेकिन आज जब सोदा किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि हम 9 रुपये, 8 रुपये बिटल से ज्यादा नहीं देंगे। इसकी वजह से आज किसान हतोत्साह हो रहा है। किसान यह समझता है कि यदि यही कीमत रही तो दूसरे साल निश्चित नहीं है कि हम गन्ना बोयें या न बोयें। तो उससे एक फेमिन हो जायगी, शुगर की फेमिन शुरू हो जायगी। आप अपना पहले यह तय कर लें कि कितना आपको शुगर कैन बोना है, कितने धान की आपको जरूरत है, तो शायद मूल्य में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे देशों में गवर्नमेंट मन्डिरी देकर बग़बर कीमत को ऐट पार रखती है, चाहे गेहूँ बोइये, चाहे धान बोइये, चाहे गन्ना बोइये हर एक की कीमत आपको मिलेगी। पार साल मिल मालिकों ने वादा किया सवा पाच रुपये मन देने का तो उन्होंने अधिक गन्ना पैदा किया। खाद उनको महंगी देना पड़ी। जल जो बिजली से लेते हैं उसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ी। ऐसी मूरत में उनको कम कीमत दी जायगी तां नतीजा यह होगा कि अभी तक मिलें नहीं चली हैं और मिलें अभी तक न चलने के कारण जो जो नुकसान होगा, उसमें एक चीज जो आम लोगों ने भ्रूस की अपने कहने में वह मैं बता देना चाहता हूँ कि ज्यादा सूख जाने की बात तो हो रही है लेकिन उसके अलावा गर्मियों के दिनों में जो रस निकलता है उसमें दाने नहीं पड़ते। मिल मालिक को भी फायदा नहीं होता और किसान को भी नहीं होता। पतला रस होता

है। इसलिये जितनी जल्दी पेराई शुरू करेगे उतनी ही शक्कर ज्यादा पड़ेगी। बाद में यह परसेन्टेज कम हो जाती है जिसकी वजह से मिल मालिक को भी नुकसान होता है और किसान को भी होता है। इन सब बातों को देखते हुये आप निश्चित करें ताकि जल्दी से जल्दी मिलें चल सकें। अगर आप जल्दी अपनी नीति नहीं निर्धारित करते हैं तो नतीजा यह होगा कि किसान अलग नुकसान उठा रहा है, मिल मालिक अलग नुकसान उठा रहा है। इस तरह दुविधा में जो पड़े हुये हैं यह उचित नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह अपनी नीति तत्काल घोषित करे। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili):  
Mr. Chairman, Sir, recently, a great concern has been expressed by Andhra Pradesh Government because of the adamant attitude adopted by some of the private mill-owners not agreeing to the price fixed by the Government of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh Government has fixed the price at Rs. 100 per tonne throughout Andhra Pradesh. Out of 19 mills, only 9 mills are cooperative mills and they have agreed to Rs. 100 per tonne. Out of private mills, only one, the Chalapalli Mills, has accepted it. The rest of the private mills have not started crushing at all.

Just now, hon. Member, Shrimati Sucheta Kripalani, clearly stated what are the various hardships and difficulties that will be experienced by farmers because of delayed crushing. I do not want to add anything on that. I wish to point out to the House and, particularly, the Government that they should also consider the amount of money, the excise duty, that they are also loosing because of the delaying tactics, adopted by the private mills. In the context of these things, there are certain legal lacunae. A certain amount of helplessness is also experienced by the Government of Andhra Pradesh. If what I hear from the newspaper reports is correct, the Andhra Pradesh Government has a telegram and also a letter to the Central

[ Shri K. Narayana Rao ]

Government proposing either control or decontrol. They have also suggested to the Central Government to come to the rescue of the farmer and also to regulate the conduct of the Mill-owners or, alternatively, empower the State Government to take whatever power is necessary under the Essential Commodities Act. I do not know whether the Government has decided anything on this matter. But this is causing a considerable difficulty to the people. So far as my constituency is concerned, there are two private mills and the people have been writing to me about the uncertainty of their fate.

SHRI K. N. TIWARY : In Andhra Pradesh, are the cooperatives running?

SHRI K. NARAYANA RAO : Yes, they are working. They have agreed to Rs. 100 per tonne except these 9 private mills. These private mills are prepared to pay Rs. 80 per tonne whereas the Central Government levy price is Rs. 78.70 p. per tonne. Here, I would like the Minister to think over it. The other day, when he was speaking on this issue, the hon. Minister said that this price is a notional price. But it is not a mere notional price. It is in the content of price of sugarcane because the so-called notional price has been fixed in the light of the levy price of sugarcane. In the context of at what price the levy-product is to be sold in the market, the price of sugarcane has been fixed. But actually, there is only 70 per cent that is going into the levy sale and 30 per cent to free market. Apart from all these mathematical calculations, I know this will not make any difference, it is 70 per cent and 30 per cent. Actually, they mix so much in the actual market that it is very difficult to identify the levy product from the open product. It finds free way into the open market. What I suggest is that you try to raise this minimum price so that there is inducement.

Then, Sir, the concern about the consumer is shown so frequently in the House and that has been rebutted by my hon. friend, Shri K. N. Pandey. I have come from certain rural areas I know how many people are really getting sugar at controlled price. To get sugar at a controlled price is a rarity. To the rural areas, the people

find it difficult to get sugar at controlled price.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may conclude now.

SHRI K. NARAYANA RAO : One more submission and I have done. When we are fixing the sugarcane price, we are taking only the returns of sugar into consideration. I would like to plead with the hon. Minister why exclude molasses out of the calculation. After all, the molasses are the byproduct of the sugarcane. What you are doing is that you are controlling the molasses at a price which is stupidly low. The controlled price of the molasses should be fixed at a reasonably high rate. The other day, the hon. Minister stated in the House that for a quintal of molasses, as against the controlled price of 65 p., the Punjab Government purchased at the rate about Rs. 160. That is the nature of disparity.

Therefore, we have to think of the price of molasses also ; we have also to see the right prices are fixed, so that in the determination of the price of sugarcane, this price is also taken into consideration.

I would, therefore, request the hon. Minister to take immediate steps, so that the private factories in Andhra Pradesh could start crushing immediately.

SHRI HIMATSINGKA (Godda) : Mrs. Sucheta Kripalani explained that everybody was suffering, but she forgot to mention the consumers. They are also suffering; in October and in the beginning of November, the price of free sale sugar had gone down to Rs. 220/- per quintal, i.e., Rs. 2.20 per kilo, but now it has gone up to Rs. 3.70 per kilo because sugar is not being produced. In Kanpur, there are only about 70 quintals of sugarcane whereas there used to be 20,000 quintals there. The result is that the delay is causing loss to everybody... (Interruption).

AN. HON. MEMBER : It is a gain to the millowners.

SHRI HIMATSINGKA : It is not a gain to the millowners also. Millowners would like to use the machinery and produce more sugar.

The position is this. The minimum price has been fixed at Rs. 7.75 per quintal, and the levy price is being calculated on that basis. If you take 70 per cent of the sugar that is being produced on the basis of the cost calculated at Rs. 3.75....

AN. HON. MEMBER : Rs. 2/-.

SHRI HIMATSINGKA : Whatever is the price that has been fixed, if you calculate the price on that basis and leave only 30 per cent for free sale, then the loss that is being incurred on the high price that is being paid for sugarcane has got to be recovered from that 30 per cent. Last year, the millowners had been given concession in excise. They were also allowed free sale upto 40 per cent and they got a high price on the 40 per cent that they sold in the free market. Last year, the production was 22 lakh tonnes and Government took about 13 lakh tonnes as levy. There were about 8 lakh tonnes for free sale. On these 8 lakh tonnes they could make up the loss which was being incurred on the levy sugar. This year the production will be 29 lakh tonnes and Government will get, on the basis of 70 per cent, 20 lakh tonnes. Therefore, the Consumers will get at controlled price 7 lakh tonnes more. Therefore, there will be very little scope for free sale of sugar and, therefore, the price cannot go up. The quantity that will be left for free sale will be only 8 lakh tonnes. Therefore, on those 8 lakh tonnes they will have to recover whatever amount they lose on the levy sugar. It is a matter of pure arithmetic. Let the Government calculate... (Interruption). The consumers will get much more than what they got last year and, therefore, the pressure on the free market will be much less, the demand will be much less. Therefore, the price cannot go up....(Interruptions) Because there was shortage, the price shot up. This year it is not likely to happen. Therefore, what I suggest is that the Government should calculate the price on the total quantity of sugar that will be produced and distribute it on the price that they pay for the levy sugar and leave it to be made up on the free sale.

Therefore, I suggest, either they stick to last year's formula of 60-40 or they

stick to minimum price of sugarcane and thereby the levy price will be a little more and that will minimise the losses in the free sale or allow at least last year's proportion of 60:40. These are the three of four suggestions and the Government can consider what is possible for them to accept. The trouble is this. The town people are vocal and therefore the Government is not prepared to increase the cost of the price of sugar that is being taken on the levy so that the town people may remain quiet. These are the three or four suggestions which I have made. Let Government consider and accept the price on that basis. The millowners are suffering for not being able to produce. They have to pay for the labour that are there permanently and they certainly want to produce as much more as they can and make some profits.

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN, RAM) : Mr. Chairman, Sir, I am thankful to the hon. Members for this discussion on sugar policy. I took over this Ministry at a time when the sugar production in the country was at the lowest level, and that was due to the factors already known to the House, namely, the severe drought conditions in Bihar, and in that portion of eastern Uttar Pradesh which produces the largest quantity of sugar. The deficiency of rain affected the acreage.

Many hon. Members have argued that, because the prices were low, therefore, the acreage went down. But the real fact was that even with the development of sugar industry in Maharashtra and Andhra, Uttar Pradesh continues to be the largest producer of sugar.

If the hon. Members will care to look into the figure of production they will find that it was due to the deficient rain in these two States that the sugar acreage went down. And then we thought what device to apply so that the farmer could be ensured a good remunerative price and the consumer a minimum of sugar at a controlled price. And those who have compunction to purchase in black market will not, have that conscientious objection if the sugar was available at higher price in the open market.

**SHRI VASUDEVAN NAIR : (Peermade)**  
Black market will be legalised.

**SHRI JAGJIWAN RAM :** Of course it was legalised, if you are pleased on the use of that word. If that pleases your ideology I have no objection. It is an achievement. If one has eyes to see one will find that the sugarcane growers in the country had never received that price in the history of the sugar industry. Those who have eyes can read it; those who have senses can understand. I am never apologetic about it. The policy that I introduced last year has benefited the farmers of this country and the farmers are very glad. There is no doubt about that. Of course the mill owners made a profit on 40 per cent. It was meant for that. These will cover the losses on the 60 per cent. They will make good the loss on the 40 per cent. And the whole basic idea of the policy that was enunciated last year was to see that the sugar production was increased.

Experts were apprehensive that in any dispensation of full control the sugar production would not have exceeded 15 to 16 lakh tons. Under this revised policy we could achieve more than 22 lakh tonnes or so. Now, this year also we considered the question of sugar policy at service places, with Members of Parliament, with the Chief Ministers, etc, and the opinions gravitated between these views.

Some were of the view that there should be full control, some were of the opinion that there should be full decontrol and the third opinion was that it should be partial decontrol. Even in the Chief Minister's conference, opinions were divided. Some were very strongly for complete control, a few were strongly for complete control, but the consensus was to continue this policy of partial decontrol, and it was decided with the variation that the levy percentage was to be increased from 60 to 70.

There was a purpose behind it. The purpose was to see whether I could create some stocks with me. Today I am in a position where I have no carryover from last year. So I thought if I could increase the quantum of levy sugar and if I could

have some carryover, then some new policy on sugar could be considered. That was the whole idea. Therefore, the percentages of levy was increased.

There are certain special features of the sugar industry. Members have complained about the arrears of sugarcane prices. I know at one stage as much as Rs. 35 crores were pending with the factory-owners. This is one industry where the raw material is supplied to the factories, the factories crush the cane, produce sugar, sell it and then make payment for the price of sugarcane to the grower.

**AN HON. MEMBER :** Without paying any interest.

**SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :** (Balrampur): Self-interest.

**SHRI JAGJIWAN RAM :** This is a special feature of this industry. I am not happy over it. Sometimes it so happens that the factory does not make profit and the growers suffer, because for five, six or seven years the growers are not paid the price. The alternative is to prosecute the factories for non-payment. I am not disclosing a secret when I say that I have been writing to the State Governments.

**SHRI BIBHUTI MISHRA :** The Garaul factory has not yet paid the price to my Champaran growers.

**SHRI JAGJIWAN RAM :** Garaul may be one of the few with large arrears.

We decided this policy on various calculations. Resistance to pay higher cane price came from factory-owners out of a misapprehension. The misapprehension was that the open market price of free sugar was going to fall so much that they could not afford to pay a price higher than Rs. 9 or Rs. 9.50. I have been making my own calculations, discussing with the factory owners and with my own experts. I do not agree with the mill-owners on this point.

Shri Kamble raised questions of recovery, duration and all those things. These are the figures worked out by experts.

I do not claim to be an expert. Perhaps we can very well say that if the duration of the crushing is longer, the overhead comes down. The labour cost will be there, but the overheads will come down. Similarly, if recovery is higher, it is quite understandable that other costs will be there, but the overheads will come down.

Let it not be forgotten that in fixing the cane price, we have given weightage for higher recovery. The price has been linked to recovery of 9.4 per cent and for every point per cent increase, an added price has to be given. That is provided. So, in areas where there is higher recovery, they get a higher price. That is quite understandable, that should be, that will be an incentive to the grower to increase the quality of his sugarcane and increase the sucrose content.

Shastriji has made a very good suggestion. I myself have been concerned about that, that when the factory crushes sugarcane, the average of all the farmers is taken, whether it is 9.4 or 9.5 or 10. One does not know whether his field produced 10.2. Even if it produced 10.2, the price will be linked to the average recovery which may be 10 only. What is the solution? The solution is very difficult because what Shastriji has suggested will be workable only in the case of big farmers who produce as much as will be adequate for at least one day's crushing, but how many farmers do we have like that? Especially in Eastern U.P. and Bihar the holdings are so small that even 200 or 500 cultivators may not provide cane adequate for one day's crushing. I have been myself exercised over this, but as yet I have not been able to find any solution by which incentive could be given to individual farmers so that they can increase their sucrose content, but if members suggest something I will be always prepared to examine it because I am myself very much exercised over this. As a matter of fact, I asked my experts whether in calculating this recovery we have got some method to check it. We have some rough and ready method. We know the quantity of cane that has been supplied and the quantity of sugar that has been produced, and on that we can work out, but how far it is scientific it is very difficult for me to say.

SHRI S. M. BANERJEE : That is a long-term policy. What is your short term policy? Are you going to increase the minimum price?

SHRI JAGJWAN RAM : I am coming to that. I am saying all these things because all these points have been raised, and they are very relevant. I seek the assistance of the members in solving these problems because I am also concerned with that. That is why I was saying this.

Many suggestions have been made, but as I have said, on the basis of the present formula I personally feel, and I agree with the members who have made the suggestion, that nowhere should the cane price be paid less than Rs. 10 per quintal. I may assure the industry—I can say nothing more than that—that it is never the intention of the Government to destroy the industry. If by paying this price it is found at a later stage that the prevailing market price of sugar is such that the sugar factories are likely to lose heavily, certainly it will be open at that stage to find out some method by which the sugar industry can be saved. I can assure the House that I will take up this matter with the sugar factories, and I am sure that if they want that the sugar industry should exist, they will not hesitate to pay such a price as will not inhibit sugar cultivation this year. That will be in the interests of the sugar industry and the areas concerned.

SHRI S. M. BANERJEE : The minimum price will be not less than Rs. 10 ?

SHRI JAGJWAN RAM : I am not talking of the statutory minimum. That should be understood.

श्री जोग प्रकाश स्वामी (मुरादाबाद) :  
जो माननीय प्रधान मंत्री ने बार बार उत्तर प्रवेश में कहा जो उन्होंने भाषासन दिया है कि हम कास्तकारों के डिमांड पर विचार करेंगे क्या उसका भी ध्यान करके आपने इस प्रकार का निश्चय किया है या फिर दुबारा विचार करेंगे।

श्री जगजीवन राम : उसका ध्यान करके और सदन में माननीय सदस्यों ने जो कहा है उसे भी दृष्टि में रखते हुए मैंने यह कहा है।

19.45 Hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 10, 1968, Agrahayana 19, 1890 (Saka).*